प्रकरण संख्या 5/2012 पुनिया बनाम रूपा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2019	वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा वकील अपीलान्ट की समायत शुदा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा कब्जेयाबी व विधिक अनुतोष का वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्चा मौका लेकर वादी की साक्ष्य का अवलोकन किये बिना इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि मौके पर आराजी नंबर 235 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा व 236 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एक किया दिखता है दोनों के सेडे अलग नहीं दिखते मौके पर नपती करने पर ही अलग–अलग सेडे की जानकारी हो सकती है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वत्व के आधार पर वादी/अपीलान्ट के कब्जेयाबी के वाद के सन्दर्भ में निर्णय पारित किया है, जबकि मौके पर उक्त भूमि पर किसका कितनी भूमि पर स्वत्व बनता है तथा मयाद के आधार पर वाद कब्जेयाबी का डिक्री किये जाने योग्य है अथवा नहीं, इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय को स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ मौका पर्चा को आधार बनाकर वादी की साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया है जो स्पष्टया तथ्यों के प्रतिकूल है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2011 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हस्ब राजस्व रेकार्ड वादी द्वारा पेश शुदा साक्ष्य व मौके की रिपोर्ट के आधार पर वादी के कब्जेयाबी के वाद पर विधिक रूप से उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 5/2012 पुनिया बनाम रूपा</u>

<u>प्रकरण संख्या 5/2012 पुनिया बनाम रूपा</u>